न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2068–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 160/2009–10/अपील.

श्रीमती मीना गर्ग पत्नी अजयमोहन गर्ग
निवासी ग्राम बरखुआ
हाल मुकाम ए.बी. रोड, गुना
तहसील व जिला गुना .....आवेदिका

विरूद्ध

रामदयाल पुत्र श्रीकृष्ण किरार
निवासी ग्राम नेगमा
तहसील व जिला गुना .....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिषक, अनावेदक

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 3/11/2015 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम बरखुआ तहसील गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 13 एवं सर्वे कमांक 32 कुल रकबा 0.674 हेक्टेयर श्रीकृष्ण पुत्र अनरत सिंह से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण

कमांक 60/अ–6/07–08 दर्ज कर दिनांक 29–8–2009 को आदेश पारित कर आवेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–12–2009 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नामांतरण आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि आवेदिका द्वारा वर्ष 1996 में प्रश्नाधीन भूमि कय की जाकर नामांतरण हेतु वर्ष 2008 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस दौरान विक्रेता श्रीकृष्ण की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान अनावेदक रामदयाल सहित अन्य के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गये हैं । अतः तहसील न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी श्रीकृष्ण के स्थान पर आवेदिका का नाम दर्ज करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि जिस दिनांक को तहसील न्यायालय द्वारा श्रीकृष्ण के स्थान पर आवेदिका का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया है, उस दिनांक को श्रीकृष्ण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं था, जबकि श्रीकृष्ण के स्थान पर पूर्व में ही आवेदिका का नाम दर्ज हो गया था, परन्तु वह प्रकरण उपलब्ध नहीं हो रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदिका की ओर से 12 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर 11 वर्ष के बाद प्रस्तुत किया गया है, अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तु किया गया कि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामांतरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य हैं, और उसका परीक्षण के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा

तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से भी अनावेदक का वाद निरस्त हो चुका है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यह कहा गया कि अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12–8–96 से क्रय की गई है, और पंजीकृत विक्रय पत्र की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से आवेदिका द्वारा भूमि क्रय किये जाने के कारण उसके पक्ष में नामांतरण आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि जिस दिनांक को श्रीकृष्ण के स्थान पर आवेदिका का नाम दर्ज किया गया है, उस दिनांक को श्रीकृष्ण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर उसके वारिसान अनावेदक एवं अन्य के नाम दर्ज थे, परन्तु उनके द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि स्व. श्रीकृष्ण द्वारा विक्रय कर दिये जाने के कारण उसका कोई स्वत्व प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं रह गया था, और जब स्व. श्री कृष्ण का ही प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं था, तब उसके वारिसानों को स्वत्व प्राप्त होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण के वारिसानों के नाम की गई अवैध प्रविष्टि के आधार पर आवेदिका को उसके स्वत्व से वंचित नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक सहित श्रीकृष्ण के अन्य वारिसों द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व निर्धारण हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था । द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 गुना द्वारा दीवानी प्रकरण कमांक 07 ए/2014 में दिनांक 20–1–2015 को आदेश पारित कर स्व. श्रीकृष्ण के वारिसों का वाद

निरस्त कर दिया गया है, अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2009 निरस्त किये जाते हैं । नायब तहसीलदार, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–8–2009 स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर